

नपा
01/11/25

क्रमांक:प.16(1)वि.मा./2024

जयपुर, दिनांक 31 दिसम्बर, 2024

अधिसूचना

राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान द्वारा पत्रांक एफ.4(2)(2)/नपा/रानिआ/2024/3821 दिनांक 19.12.2024 एवं अधिसूचना क्रमांक एफ.4(2)(2)/नपा/रानिआ/2024/3876 दिनांक 26.12.2024 द्वारा राज्य के विभिन्न जिलों की संलग्न सूची के नगरीय निकायों के उपचुनाव हेतु चुनाव कार्यक्रम घोषित किया गया है।

इस सन्दर्भ में भारत सरकार के गृह मन्त्रालय की अधिसूचना संख्या 20/25/56 पब./1 दिनांक 8 जून, 1957 के साथ पठित, परक्राम्य लिखित अधिनियम, 1881 (1881 का अधिनियम 26) की धारा 25 के स्पष्टीकरण के अधीन राजस्थान के राज्यपाल एतद्वारा घोषणा करते हैं कि दिनांक 09.01.2025 (गुरुवार) को मतदान होने की स्थिति में (संलग्न सूची के अनुसार) मतदान क्षेत्र में स्थित कार्यालयों में परक्राम्य लिखित अधिनियम (NI Act) 1881 के तहत अवकाश रहेगा। यदि किसी कारण कहीं पुनर्मतदान की स्थिति बनती है तो पुनर्मतदान दिवस पर भी संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में अवकाश रहेगा ताकि उस क्षेत्र के मतदाता मतदान कर सकें।

संलग्न : उपर्युक्तानुसार

राज्यपाल की आज्ञा से,





(बृजेश किशोर शर्मा)

निदेशक (बजट)

राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर-302005)

email- secraj@rajasthan.gov.in Ph/FAX 0141-2227280, 2227072

क्रमांक:एफ.4(2)(2)नपा/रानिआ/2024/02.

दिनांक:- 21/12/2024

प्रतिलिपि जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, दौसा, जयपुर, झालावाड़, सवाईमाधोपुर एवं सीकर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

(अम्बा लाल मीणा)

उपसचिव